3760

(35)

क्रमांक 67
हिमाचल प्रदेश वन विभाग

दिनांक, रामपुर, से 5-4-2022

प्रेषकः—मुख्य अरण्यपाल रामपुर।

प्रेषितः— प्रेषितः— नोडल अधिकारी एवं अति०प्र०मु०अ० व०स०अ०) का० प्र०मु०अ० (वन बल), शिमला, हि०प्र०।

**Subject:-** **Diversion of 0.0357 hac of forest land for the construction of 2/4 Home Guard Company at Kumarsain within the jurisdiction of Kotgarh Forest Division Distt Shimla. H.P.**

कृप्या आपके कार्यालय पंत्र पृष्ठांकन संख्या Ft.48-3760/2018 (FCA) दिनांक 24.09.2020 के सन्दर्भ में ।

उपरोक्त विषय का तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 8B/HP/09/79/2020/FC/1238 दिनांक 11.09.2020 के तहत शर्तो की अनुपालना रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार से है:—

| Sr.No. | Stipulations/conditions | Reply |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक अपरिवर्तित रहेगी | मान्य है, इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। । |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी। | मान्य है, इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। । |
| 3 | **प्रतिपूरक वनीकरणः**<br>**(क)** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। | प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा 100 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि कुल 16380/— रूपये की राशि online चलान के माध्यम से Adhoc CAMPA में दिनांक 25.11.2021 को जमा करवा दी गई है, (चलान की छाया प्रति सलंग्न है) इसके अतिरिक्त 2720 रूपये विभागीय प्रभार के रूप में T.C. No. 12 dated 23.12.2021 के द्वारा सरकारी खजाने में जमा कर दिये है। साथ में यह भी सूनिश्चित किया है कि स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा । |
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एव सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य मे निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की राशि जमा कर दी गयी है तथा वनीकरण स्कीम को 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाऐगा।<br>इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। |

1186
12/04/22

APCCF(FCA)
8/04/22

| | | |
|---|---|---|
| 5 | **शुद्व वर्तमान मूल्य**<br>**(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IAनंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28. 03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पंत्राक 5–1/1998–एफ.सी. Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10. 2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.0897 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मुल्य वसूल करेगी। | शुद् वर्तमान मूल्य मु0 24954 रुपये की राशि कैम्पा में जमा कर दी गयी है जैसा कि कालम 3 (क) में दर्शाया गया है। इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। । |
| | **(ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अतिम रुप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | मान्य है, इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। । |
| 6 | एफ.आर.ए का पूर्ण अनुपालना सम्बधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा । | मान्य है इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। । |
| 7. | The proposed construction building will not be used for residential purpose and the detail layout showing design of the proposed building be provided to this office. | मान्य है इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। । |
| 8 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़ें स्थानों पर अधिक से अधिक वृक्षों को रोपित कर Greenery को maintain करने को बावत undertaking प्रस्तुत करेगी । | इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। |
| 9 | माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली IA No.3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई । अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा इस पर निर्णय लिये जाने के उपरांत ही तदनुसार अपने स्तर पर भूमि के प्रत्यावर्तन हेतू जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी । | मान्य है |
| 10 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे । | मान्य है इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। |
| 11 | आसपास के क्षेत्र वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा । | मान्य है। इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। |
| 12 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किए जाएगे। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से ही करवाया गया है। |
| 13 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करेगा । | मान्य है, इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। |
| 14 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा । | मान्य है, इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। । |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिवर स्थापित नहीं किया जाएगा । | मान्य है, इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। । |
| 16 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरी को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा । | मान्य है।, इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। । |
| 17 | संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा । | मान्य है, इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। |
| 18 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतू नहीं किया जाएगा। | मान्य है, इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। । |
| 19 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तत हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों विभाग अथवा व्यक्ति को इस्तांतरित नहीं की जाएगी । | मान्य है, इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। । |
| 20 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंगन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंगन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। | मान्य है, इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। |
| 21 | पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय –समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी । | मान्य है, इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। |
| 22 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगाा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तार्ण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | मान्य है, इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। |
| 23 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव के लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेसी की जिम्मेवार होगी । | मान्य है, इस सबंध में प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा दी गई वचन वधता सलग्न है। |
| 24 | अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल पर उपलोड की जाएगी। | मान्य है। |

**संलग्नः–उपरोक्त**

5/5/22

मुख्य अरण्यपाल,
रामपुर वन वृत
रामपुर बुशैहर, हि0प्र0।